प्रेषक,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड ।

पत्रांकः– 06(4)/11/23061-66/2016–17 दिनांक 22 अक्टूबर 2016

विषयः– **अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्ग के पदनाम एंव वेतनमानों में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1321/XXIV–4/2016–10(29/2013 दिनांक 20.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा राजकीय मिनिस्टीयल कार्मिकों हेतु निर्गत शासनादेश सं0–373/xxvii(7)/27(2)/2013 दिनांक 16.01.2013 की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों के पदनाम/ग्रेड वेतन तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित पदनाम एंव स्तम्भ–5 में अंकित ग्रेड वेतन संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क0स0	वर्तमान पदनाम	वेतनमान/ग्रेड पे0	संशोधित पद नाम	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	कनिष्ठ लिपिक	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	**कनिष्ठ सहायक**	**5200–20200 ग्रेड वेतन 2000**
2 .	प्रधान लिपिक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	**बरिष्ठ सहायक**	**5200–20200 ग्रेड वेतन 2800**

अतः सन्दर्भित शासनादेश संलग्न कर निर्देशित किया जा रहा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पदनाम एंव ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से संशोधित करना सुनिश्चित करें। तदनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
22.10.2016
(आर0के0कुंवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0स0– माध्यमिक 06(4)/11/23061-66/2011–12 दिनांक–उक्तवत्
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
1 उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ।
3 मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4 समस्त वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
5 अध्यक्ष/महामंत्री, उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ ।

22.10.2016
(आर0के0कुंवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

Scanned by CamScanner

संख्या– /XXIV–4/2016–10(29)/2013

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

विषयः– अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमानों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 06(04)/14816–18/2016–17 दिनांक 05 अगस्त, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में शासन स्तर पर समयक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मिनिस्टीयल कार्मिकों हेतु निर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–373/XXVII(7)/27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी,2013 की भॉति अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों के पदनाम/ग्रेड वेतन तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित पदनाम एवं स्तम्भ–5 में अंकित ग्रेड वेतन संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं.	वर्तमान पद नाम	वेतनमान/ग्रेड पे	संशोधित पद नाम	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	कनिष्ठ लिपिक	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	कनिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000
2	प्रधान लिपिक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800

3. अशासकीय जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के संशोधित पद नाम एवं गेड वेतन का लाभ तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–243/XXVII(7)/2016 दिनांक 19 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

(महिमा)
उप सचिव।

संख्या–1321(1)/XXIV–4/2016–10(29)/2013 तद्दिनांकित–

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी,उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3–निजी सचिव,मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।

4–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादन।

5–समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6–सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर।

7–मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

8–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

9–वित्त अनुभाग–7/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

10–माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।

11–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– अर्थ–5क / /ए0सी0पी0 / 2016–17 दिनांक 10 जनवरी, 2017

विषयः– वेतन समिति की सस्तुतियों में लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय जनपदों द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में जिज्ञासायें की जा रही हैं। जनपदों / आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों के आलोक में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है।

क्रम संख्या	जिज्ञासा	उत्तर
1	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ठ लिपिक पद पर प्रथम नियुक्ति से ए0सी0पी0 की अनुमन्यता राजकीय शिक्षणेत्तर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या 770 दिनांक 06.11.2013 की व्यवस्थाके अनुसार अनुमन्य करायी जानी है अथवा नहीं ?	शासनादेश संख्या 662 / XXIV–4 / 2011–10(75) / 2010 दिनांक 14.12.2011 एवं सपठित शासनादेश संख्या 512 / 14–XXIV–10(75) / 2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 04.03.2014 के प्राविधानों के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों को सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से पदोन्नति न होने की दशा में क्रमशः 10, 16 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 क्रमशः रू0 2400, 2800 एवं 4200 ग्रेड वेतन अनुमन्य है। साधारण पुनरीक्षित वेतनमान पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 क्रमशः रू0 2400, रू0 2800 एवं रू0 4200 दिनांक 01.09.2008 अथवा अनुमन्यता की तिथि से दिनांक 19.10.2016 तक एवं शासनादेश संख्या 1321(1)XXIV–4 / 2016–10(29) / 2013मा0शि0 अनुभाग –4 देहरादून दिनांक 20.10.2016 के अनुसार दिनांक 20.10.2016 से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 क्रमशः रू0 2800, रू0 4200 एवं रू0 4600 अनुमन्य होगी।
2	अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल / जूनियर हाई स्कूल, जहां मात्र 01 पद कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में है, उस स्थिति में प्रथम ए0सी0पी0 2400 ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगी अथवा 2800 ग्रेड वेतन अनुमन्य की जानी है ?	अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल / जूनियर हाई स्कूल, जहां मात्र 01 पद कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में है, उस स्थिति में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 क्रमशः रू0 2400, रू0 2800 एवं रू0 4200 दिनांक 01.09.2008 अथवा अनुमन्यता की तिथि से दिनांक 19.10.2016 तक एवं शासनादेश संख्या 1321(1) XXIV –4 / 2016–10 (29) / 2013 मा0शि0 अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 20.10.2016 के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 क्रमशः रू0 2800, रू0 4200 एवं रू0 4600 अनुमन्य होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने जनपद में वेतन निर्धारण करवाना सुनिश्चित करें। वेतन निर्धारण के प्रकरणों पर अपने कार्यालय के वित्त अधिकारी का परामर्श अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में केस टू केस निदेशालय को कदापि प्रेषित न किये जॉय।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0:–अर्थ–5क / 31133-39 /ए0सी0पी0 / 2016–17 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त वित्त अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. सूचना प्रकोष्ठ, निदेशालय माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

Amita

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner